

A 7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

ठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
5/अपील/21

तारीख दायरा
26.03.2021

तारीख फैसला
21.03.2022

श्री नन्दलाल आ० रामकिशनल जाति गुर्जर निवासी मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
—अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से — श्री कैलाश नामघराणी एड०
रेस्पो० की ओर से — परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्टस को भूमि खसरा सं. 828, 831, 793 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा किस्म सिवायचक भूमि ग्राम मेण्डी का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 535 रु. शास्ति तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्टस को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्टस का किसी भी राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थी को दोषी करार दिये जाने से पूर्व में न तो जवाब लिया गया है और न ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर अतिचार किया है। वह बार-बार अतिचार करने का आदि है, जिसे पूर्व में बेदखल किया जा चुका था। अपीलार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा सं. 828, 831, 793 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा किस्म सिवायचक भूमि पर अतिचार किया

निर्णयित है। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर विचार किया था, जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्ट बार-बार भूमि पर विचार करने का आदि है, किन्तु फिर भी अपीलान्ट के प्रति न्यायहित को दृष्टिगत रखकर नरमी का रुख अपनाते हुए आदेश दिये जाते हैं कि यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलेक्टर,
बन्दी (राज०)
बूदी